

राजस्थान विधान सभा

सप्तम सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

- I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे: -
- (1) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-3(राजस्व प्राप्तियां) ;
 - (2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए खान प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ) 2010-2011 का प्रतिवेदन संख्या-5 ;
 - (3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) ;
 - (4) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2) (सिविल) ;
 - (5) राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 9) की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन 1.4.2004 से 31.3.2008 , 24वां वार्षिक प्रतिवेदन 1.4.2008 से 31.3.2009 एवं 25वां वार्षिक प्रतिवेदन 1.4.2009 से 31.3.2010 .
 - (6) भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 आई(4) एवं 243 वाई (2) के अन्तर्गत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट (2010-2011 और 2011-2012 के लिये) एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गई अन्तरिम रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ;
 - (7) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ; एवं
 - (8) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010.

II- डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ;
- 2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-(ए) के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009 तथा दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-2010; एवं
- 3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण वर्ष 2008-2009.

III- श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।

IV- श्री रामलाल जाट, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-40(7) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के वार्षिक लेखे 2001-2002 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-2012 विधि, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नगरीय विकास एवं आवासन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, यातायात, संसदीय कार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, देवस्थान, वित्त, कार्मिक, कृषि विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन, सैनिक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कारागार, पर्यटन, आयुर्वेद, श्रम एवं नियोजन, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा (शिक्षा) तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के वर्ष 2006 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2011-2012 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2009-10 के 35वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित जनलेखा समिति, 2011-12 का 68वाँ प्रतिवेदन।

..3..

2. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 का पैरा संख्या 4.1.1 तथा 4.3.2 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 69वाँ प्रतिवेदन।
3. विनियोग लेखे वर्ष 2007-08 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों के मामलों से संबंधित जनलेखा समिति, 2011-12 का 70 वाँ प्रतिवेदन।
4. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 4.2.3, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.4.2 वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 2.4 व 3.2.7 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 71 वाँ प्रतिवेदन।
5. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.7 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 72वाँ प्रतिवेदन।
6. जनलेखा समिति, 2001-02 के 109वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 73वाँ प्रतिवेदन।
7. जनलेखा समिति, 2006-07 के 184वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 74वाँ प्रतिवेदन।
8. जनलेखा समिति, 2006-07 के 192वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 75वाँ प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2007-08 के 244वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 76वाँ प्रतिवेदन।
10. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.6 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 77वाँ प्रतिवेदन।
11. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.1.4, 4.2.5 एवं 4.2.6 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 78वाँ प्रतिवेदन।

12. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 3.5 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 79वाँ प्रतिवेदन।
13. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट जल संसाधन, कृषि एवं भू-जल विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 3.3 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 80वाँ प्रतिवेदन।
14. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 4.1.3 वर्ष 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 3.5, 4.5.7 वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.3, 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.3.2 एवं 3.4.6 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 81वाँ प्रतिवेदन।
15. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2002-03 में समाविष्ट इंदिरा गांधी नहर विभाग का अनुच्छेद संख्या 3.1 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 82वाँ प्रतिवेदन।
16. जनलेखा समिति, 2007-2008 के 250वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 83वाँ प्रतिवेदन।
17. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2004-05 में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 84वाँ प्रतिवेदन।
18. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.2.1 वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.1 नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 85वाँ प्रतिवेदन ।
19. रावी व्यास एवं सतलज नदियों के पानी में हिस्सेदारी एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तत्स्थानीय अध्ययन यात्रा कार्यक्रम के दौरान समिति के ध्यान में आए विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के अन्तर्गत जनलेखा समिति, 2011-12 का 86वाँ विशेष प्रतिवेदन।
20. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 87वाँ प्रतिवेदन ।
21. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.2.2, 4.4.4 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.2.2 एवं 3.4.1 वन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 88वाँ प्रतिवेदन ।
22. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 4.3.2 व 4.4.4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 89वाँ प्रतिवेदन।

23. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 2.7, 4.3.3, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.3.1, एवं 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.4.3 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 90वां प्रतिवेदन।
24. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2006-07 में समाविष्ट आयुर्वेद विभाग का अनुच्छेद संख्या 4.5.1, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अनुच्छेद संख्या 4.2.1, 4.5.11 वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.11 तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.5 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 91वां प्रतिवेदन।
25. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 3.1 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 92वां प्रतिवेदन।
26. जनलेखा समिति 2007-08 के 236वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 93वां प्रतिवेदन।
27. जनलेखा समिति 2006-07 के 162वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 94वां प्रतिवेदन।
28. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.2, वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.3.1 एवं 3.4.6 आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 95वां प्रतिवेदन ।
29. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.3.4, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.9 कार्मिक विभाग वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.2.3 सामान्य प्रशासन विभाग तथा वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 96वां प्रतिवेदन।
30. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद संख्या 4.1.8, 4.2.6 तथा वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.3.8 व 4.3.10 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 97वां प्रतिवेदन।
31. जनलेखा समिति 2010-11 का 48वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 98वां प्रतिवेदन।
32. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.6 एवं 3.4.6 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 99वां प्रतिवेदन ।

33. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2005-06 के 119वें प्रतिवेदन में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 100वां प्रतिवेदन ।
34. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 1997-98 के 119वें प्रतिवेदन में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 101वां प्रतिवेदन।
35. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2002-03 एवं 2006-07 के लिए गृह-पुलिस विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 102वां प्रतिवेदन।
36. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.3.2, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से संबंधित वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद संख्या 4.4.12, भू-जल विभाग से संबंधित वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद संख्या 2.4, तथा इन्दिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या 3.1.3 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 103वां प्रतिवेदन।
37. सी.ए.जी. प्रतिवेदन(सिविल) वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद संख्या 4.5.3 व 4.5.4 आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 104वां प्रतिवेदन।
38. जनलेखा समिति 2010-11 के 45वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 105वां प्रतिवेदन।
39. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 106वां प्रतिवेदन।
40. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जनलेखा समिति वर्ष 2003-04 (11वीं विधान सभा) के 217 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग एवं जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 (12वीं विधान सभा) के 167 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 107 वां प्रतिवेदन।
41. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 (12वीं विधान सभा) के 217 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 108 वां प्रतिवेदन।

42. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) जनलेखा समिति वर्ष 2008-09 (12वीं विधान सभा) के 269 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 109 वां प्रतिवेदन।
43. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) जनलेखा समिति वर्ष 2004-05 (11वीं विधान सभा) के 88 वें प्रतिवेदन एवं जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 के 260वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 110 वां प्रतिवेदन।
44. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जनलेखा समिति वर्ष 2006-07 (12वीं विधान सभा) के 189 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग (विभाग समाप्त) स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 111 वां प्रतिवेदन।
45. दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार “पंचर बनाने वाले को 40 लाख का टेण्डर” शीर्षकान्तर्गत मुद्रित समाचार की कतरन, नरेगा में सरपंच द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की जांच से संबंधित अभ्यावेदन तथा दास्तान-ए-रिछड़ा से संबंधित पत्र जो भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत रीछड़ा में नरेगा के तहत वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 229(4) के तहत जांच हेतु जनलेखा समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर समिति का यह विशेष प्रतिवेदन प्रक्रिया नियम 201 के अन्तर्गत जनलेखा समिति, 2011-2012 का 112 वां प्रतिवेदन।
46. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट श्रम विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या 3.4 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-2012 का 113 वां प्रतिवेदन।
47. जनलेखा समिति, वर्ष 2008-2009 के 262 वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-2012 का 114 वां प्रतिवेदन ।
48. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) पर जनलेखा समिति वर्ष 2005-06 के 138 एवं 139वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2011-12 का 115 वां प्रतिवेदन ।
49. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राप्रा) वर्ष 2003-04 में समाविष्ट खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-12 का 116 वां प्रतिवेदन।

50. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट गृह विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 का पैरा संख्या 3.2 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2011-2012 (तेरहवीं विधानसभा) का 117 वां प्रतिवेदन।

(III) श्रीमती जकिया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेगी :-

- 1- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 62वां प्रतिवेदन;
- 2- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 63वां प्रतिवेदन ;
- 3- राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 64वां प्रतिवेदन ;
- 4- राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 65वां प्रतिवेदन ;
- 5- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 66वां प्रतिवेदन ;
- 6- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 67वां प्रतिवेदन ;
- 7- राजस्थान वित्त निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 68वां प्रतिवेदन ;
- 8- राजस्थान वित्त निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 69वां प्रतिवेदन ;
- 9- राजस्थान वित्त निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 70वां प्रतिवेदन ;
- 10- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1997-98) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 71वां प्रतिवेदन ;
- 11- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 72वां प्रतिवेदन ;

- 12- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 73वां प्रतिवेदन;
- 13- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 74वां प्रतिवेदन;
- 14- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 75वां प्रतिवेदन;
- 15- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 76वां प्रतिवेदन;
- 16- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 77वां प्रतिवेदन;
- 17- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-94) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 78वां प्रतिवेदन;
- 18- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 79वां प्रतिवेदन;
- 19- पांचों विद्युत कम्पनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 80वां प्रतिवेदन;
- 20- पांचों विद्युत कम्पनियों (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 81वां प्रतिवेदन; एवं
- 21- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2009-2010 के 7वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 का 82वां प्रतिवेदन।

(IV) डॉ. दयाराम परमार, सभापति, प्राक्कलन समिति "क", 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2011-2012 का चतुर्थ प्रतिवेदन ;
- 2- माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2011-2012 का पंचम प्रतिवेदन; एवं
- 3- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2011-2012 का षष्ठम प्रतिवेदन।

(V) श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- गृह (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के 8वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का परिपालनात्मक 17वां प्रतिवेदन;
- 2- राजस्व विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का 18वां प्रतिवेदन; एवं
- 3- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2009-2010 के पांचवे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 का 19वां प्रतिवेदन।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2011-2012 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2006-2007 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2011-2012 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें तथा वर्ष 2006-07 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे ।

6. विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-30)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य की जनता को नियत समय सीमाओं के भीतर-भीतर कतिपय सेवायें प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(2) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

- राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-29)
- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-02) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) जे.के.लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 जून, 2011 को प्रख्यापित जे.के.लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-5) को अस्वीकार करता है।"
डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में जे.के.लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-19)
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 मई, 2011 को प्रख्यापित आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-3) को अस्वीकार करता है।"
डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में आई .सी .एफ. ए. आई. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) आई.सी.एफ.ए.आई.विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-20)
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(3) प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2011 को प्रख्यापित प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-7) को अस्वीकार करता है।"
- प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर
अध्यादेश, 2011 के संबंध में
परिणियत संकल्प
- (II) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-21)
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(4) सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) विधेयक, 2011

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2011 को प्रख्यापित सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-8) को अस्वीकार करता है।"
- सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़
राजपूत (अलवर)
अध्यादेश, 2011 के संबंध में
परिणियत संकल्प
- (II) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
"राजस्थान राज्य में सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़
राजपूत (अलवर)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-22)
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(5) मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- (I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिणियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 के संबंध में परिणियत संकल्प "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 4 जून, 2011 को प्रख्यापित मणिपाल अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्या-6) को अस्वीकार करता है।"
- (II) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-23) "राजस्थान राज्य में मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(6) महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011

- (I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-24) "राजस्थान राज्य में महात्मा गाँधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

सीताराम सोनवाल
उप सचिव(सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 अगस्त, 2011